कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुलतानपुर की प्रशासकीय परिषद दिनांक 03.10.2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सभा कक्ष सम्पन्न हुई 43वी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	इं0 विनोद कुमार मिश्रा 4/251, विवेक खण्ड–4, गोमती नगर लखनऊ ।	अध्यक्ष
2	श्री भुवनेश कुमार, आई0ए0 एस0, सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, विधान भवन,लखनऊ। (द्वारा नामित प्रतिनिधि) श्री अवध किशोर, उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, विधान भवन,लखनऊ।	उपाध्यक्ष
3	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
4	डा0 एस0 एन0 सिंह, कुलपति एम0एम0एम0यू0टी, गोरखपुर।	सदस्य
5	डा0 जे0 पी0 सैनी कुलपति एन0एस0यू0टी0, नई दिल्ली	सदस्य
6	डा0 एम0 एस0 चौहान, प्रोफेसर, सिविल इन्जीनियरिंग विभाग, एम0 ए0 एन0 आई0 टी0, भोपाल।	सदस्य

7	श्री के0 राम , संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र लखनऊ ।	सदस्य
8	डा0 कुलदीप सहाय आचार्य विद्युत अभियन्त्रण विभाग, आई0ई0 टी0, लखनऊ	सदस्य
9	डा0 एस0 यू0 सिद्दीकी, आचार्य गणित विभाग, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	सदस्य
10	डा0 के0 एस0 वर्मा, आचार्य विद्युत अभियन्त्रण विभाग, के0 एन0आई0टी0, सुलतानपुर।	सदस्य
11	डा0 ए0 एस0 पाण्डेय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, के0 एन0आई0टी0, सुलतानपुर।	सदस्य
12	श्री अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखाधिकारी कोषागार एवं पेन्शन, लखनऊ मण्डल लखनऊ। (सचिव, वित्त व्यय नियंत्रक के नामित /प्रतिनिधि)	सदस्य
13	डा0 ए0 के0 सिंह समन्वयक, टेकिप–।।।, के0 एन0आई0टी0, सुलतानपुर।	विशेष आमंत्री
14	डा0 जे0 पी0 पाण्डेय निदेशक, के0 एन0आई0टी0, सुलतानपुर।	सदस्य – सचिव

अपरिहार्य कारणोंवश निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:—

1	डा0 अजीत कुमार चतुर्वेदी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की।	सदस्य
2	डा0 अभय कान्डिकर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।	सदस्य
3	डा0 अमिताभ तिवारी, सेन्टर हेड, टी0सी0एस0, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
4	महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, टाण्डा, अम्बेदकरनगर।	सदस्य

सर्वप्रथम निदेशक संस्थान द्वारा अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात निदेशक संस्थान द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

43.01: **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 16.01..2018 को सम्पन्न 42वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई की सूचना से अवगत होते हुए परिषद द्वारा कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि संस्थान के बाई–लाज में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 4 माह के अन्तराल में प्रशासकीय परिषद की बैठक आहूत करने के प्रयास किये जाय।

43:02: **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न 42वीं बैठक में लिए गये निर्णयो पर कृत कार्यवाही की सूचना।**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न 42वीं बैठक में लिए गये निर्णयो पर कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। कृत कार्यवाही पर परिषद द्वारा सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्नवत निर्देश दिये गये :—

42.03 (1): छात्रों के प्लेसमेन्ट हेतु किसी बाह्य एजेन्सी की सेवायें ली जायें तथा छात्रों की तृतीय वर्ष से ही प्लेसमेन्ट हेतु तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय। प्लेसमेन्ट पर होने वाला व्यय प्लेसमेन्ट शुल्क से वहन किया जाय। यदि आवश्यक हो तो संस्थान एजेन्सी की सेवाए लेने हेतु निविदायें आमंत्रित कर सकता है।

42.03 (3): संस्थान के अतिथि गृह में छज्जा गिरने पर गठित समिति की जॉच रिपोर्ट एवं यूपी0पी0सी0एल0 के कार्यों की गुणवत्ता खराब होने के कारण एवं कार्य को समय से पूरा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य यूपी0पी0सी0एल0 को नहीं दिये जाने का निर्णय लियां गया।

42.16 : डा0 हरविन्दर सिंह सेवानिवृत्त प्रोफेसर के0एन0आई0टी0 सुलतानपुर को सी0पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान रोके जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया एवं परिषद द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। डा0 सिंह के बी0आई0ई0टी0 झांसी के प्रति प्रशासनिक दयित्वों एवं वित्तीय देनदारियों को दृष्टिगत करते हुए परिषद ने संस्थान में डा0 सिंह को देय अवशेष सी0पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान प्राथमिकता पर किये जाने के निर्देश दिये।

42.20 : परिषद द्वारा वन विभाग में भूमि के लीज हेतु आन लाइन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट की सेवाएं प्राप्त किये जाने हेतु निदेशक संस्थान को निम्न शर्तों के अधीन अधिकृत किया गया:–

(1) उपरोक्त कार्य सम्पादित कराने हेतु अधिकतम 30 बैठकें की जायेगी एवं कन्सल्टेन्ट को प्रति बैठक अधिकतम रू0 3000/– तक की सीमा तक देय होगा।

(2) कन्सल्टेन्ट को उपरोक्त के अतिरिक्त नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होगा।

42.28 (7): ''डा0 अरूणी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एवं इन्जीनियरिंग विभाग को ग्रेड वेतन –रू0 8000/–, 9000/– व 10000/– के प्रकरण में कतिपय शर्तों के साथ स्थगित रखने की की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया'', के स्थान पर ''डा0 अरूणी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एवं इन्जीनियरिंग विभाग को ग्रेड वेतन –रू0 8000/–, 9000/– व 10000/– के सन्दर्भ में CAS हेतु दिनांक 30.11.2017 को सम्पन्न हुई चयन समिति द्वारा संस्तुत कतिपय शर्तो को दृष्टिगत करते हुए प्रकरण को स्थगित रखने पर अनुमोदन प्रदान किया गया'' पढ़ा जाय।

42.31 (1): डा0 दीपेन्द्र सिंह, के प्रत्यावेदन दिनांक 14.09.2018 पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इनके विरूद्ध चल रही जॉच प्रकिया को चलते रहने पर दिये गये अनुमोदन पर परिषद ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न निर्देश दिये गये:–

(i) डा0 ओंकार सिंह, जॉच अधिकारी को 30 नवम्बर, 2018 तक डा0 दीपेन्द्र सिंह, के विरूद्ध चल रही जॉच कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

(ii) डा0 दीपेन्द्र सिंह को जॉच कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

43.03: **अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का औपचारिक अनुमोदन।**

अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों पर प्रशासकीय परिषद ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया:—

(1) प्रशासकीय परिषद, वित्त समिति एवं भवन एवं कार्य समिति के विभिन्न सदस्यों की प्रास्थिति में बदलाव की वर्तमान की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए नये सदस्यों को नामित किये जाने का प्रकरण ।
(2) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अमेठी से रू0 42.09 लाख के अतिथि गृह के ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम फ्लोर के जीर्णोधार का कार्य ।
(3) प्रशासनिक भवन के गलियारे /लॉन्ज की रिपेरियरिंग एवं टाइल्स तथा अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के कक्ष में यू0पी0 पी0सी0एल0 से ट्रांजिट हास्टल में कराये जाने वाले कार्यों जिनकी दरें शासन द्वारा अनुमोदित हैं, पर रू0 3.90 लाख तक की रिपेरियरिंग/पेंटिंग एवं टाइल्स लगाने का कार्य।
(4) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अमेठी से रू0 60 लाख का सी0एस0ए0 हाल के रिनोवेशन का कार्य ।

43.04: **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न 42वीं बैठक के बाद संस्थान में हुए विकास कार्यों एवं अन्य शैक्षिक क्रिया कलापों से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद संस्थान में किये गये विकास कार्यों, शैक्षिक क्रिया कलापों एवं अन्य क्रिया कलापों से अवगत होते हुए हुई । परिषद द्वारा विकास कार्यों के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:—

(1) श्री आशुतोष टंडन ''गोपालजी'' मा0 मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2018 को जिन कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया है, उन कार्यों को 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

(2) 180 शैय्या छात्रावास का निर्माण कार्य भी समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करायें ताकि छात्र लाभान्वित हो सके।

43.05: **वित्त समिति की दिनांक 04.06.2018 को सम्पन्न 52वीं बैठक के कार्यवृत्त का औपचारिक अनुमोदन।**

1. वित्त समिति की दिनांक 04.06.2018 को सम्पन्न 52 वीं बैठक के कार्यवृत्त के विभिन्न बिन्दुओं से अवगत होते हुए परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. प्रशासकीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग करने वाले बाह्य सदस्यों को मानदेय रू0 1500/— के स्थान पर रू0 3000/— भुगतान करने पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया।